




आठराई गाउँपालिका आर्थिक ऐन, २०७८

स्थानीय राजपत्र

भाग -१


खण्ड : ५ संख्या : ०१ मिति: २०७८/३/३१



आठराई गाउँपालिका संक्रान्तिबजार
तेह्रथुम



आठराई गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८



आठराई गाउँपालिका, संक्रान्तिबजार
तेह्रथुम

आठराई गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८

गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक

प्रस्तावना: गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “आठराई गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८” रहेको छ ।
(२) यो ऐन २०७८ साल श्रावण १ गतेदेखि गाउँपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।
२. सम्पत्ति कर: गाउँपालिका क्षेत्र भित्र अनुसूचि (१) बमोजिम एकिकृत सम्पत्ति कर/घरजग्गा कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
३. भूमि कर (मालपोत): गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूचि (२) बमोजिम भूमि कर (मालपोत) लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
४. घर जग्गा बहाल कर: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा अनुसूचि (३) बमोजिम घर जग्गा बहाल कर लगाइने र असूल गरिनेछ ।
५. व्यवसाय कर: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवा मा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोवारका आधारमा अनुसूचि (४) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

६. सवारी साधन कर: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा अनुसूचि (५) बमोजिम सवारी साधन कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ । तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।
७. विज्ञापन कर: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूचि (६) बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ । । तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।
८. मनोरन्जन कर: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरन्जन व्यवसाय सेवामा अनुसूचि (७) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ । तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।
९. पार्किङ शुल्क: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए वापत अनुसूचि(८)बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
१०. सेवा शुल्क तथा सिफारिस दस्तुर: गाउँपालिकाले निर्माण, संचालन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसूचि (९) मा उल्लिखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचिमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
११. सम्पत्ति मूल्यांकन दस्तुर :गाउँपालिका क्षेत्र भित्र सम्पत्ति मूल्यांकन दस्तुर मूल्यांकनअनुसूचि (१०) सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचिमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
१२. घर निर्माण नक्सा पास दस्तुर: गाउँपालिका क्षेत्र भित्रघर निर्माण नक्सा पासदस्तुर (अनुसूची ११) मा उल्लेखित सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाईने र असूल उपर गरिने छ ।

१३. **चार किल्ला प्रमाणित दस्तुर:** गाउँपालिका क्षेत्र भित्रचार किल्ला दस्तुर (अनुसूची १२) मा उल्लेखित सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाईने र असुल उपर गरिने छ ।
१४. **निवेदन दस्तुर:** गाउँपालिकामा कर, दस्तुर, महसुल आदि बुझाएको भनि लिएको प्रमाणपत्रहरु आदि हराएमा (अनुसूची १३) मा उल्लेखित सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाईने र असुल उपर गरिने छ ।
१५. **सरसफाई शुल्क :** गाउँपालिका क्षेत्र भित्रघर निर्माण नक्सा पास दस्तुर (अनुसूची १४) मा उल्लेखित सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाईने र असुल उपर गरिने छ ।
१६. **भाडा :** गाउँपालिकामा रहेको हल तथा प्रोजेक्टर प्रयोग गरे बापत प्रति दिन दस्तुर (अनुसूची १५) मा उल्लेखित सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाईने र असुल उपर गरिने छ ।
१७. **सार्वजनिक सौचालय दस्तुर:** गाउँपालिका क्षेत्र भित्र संचालनमा रहेको सार्वजनिक सौचालय दस्तुर (अनुसूची १६) मा उल्लेखित सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाईने र असुल उपर गरिने छ ।
१८. **विद्युत/टेलिफोन पोल कर:** गाउँपालिका क्षेत्र भित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमले विद्युत र टेलिफोन प्रसारणको लागि गाडिएको केन्द्रिय प्रसारण दस्तुर (अनुसूची १७) मा उल्लेखित सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाईने र असुल उपर गरिने छ ।
१९. **जडिबुटी, कवाडि तथा जिवजन्तु कर:** गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन अध्ययनका आधारमा आठराई गाउँपालिका स्तरीय राजश्व परामर्श समितिको २०७८।२।२९ गतेको बैठकको निर्णय बमोजिम दस्तुर (अनुसूची १८) मा उल्लेखित सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाईने र असुल उपर गरिने छ ।
२०. **व्यवसाय दर्ता शुल्क:** गाउँपालिका क्षेत्र भित्र संचालन हुने व्यवसाय दर्ताको लागि दस्तुर (अनुसूची १९) मा उल्लेखित सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाईने र असुल उपर गरिने छ ।
२१. **व्यवसाय नविकरण शुल्क:** गाउँपालिका क्षेत्र भित्र संचालन भएका व्यवसाय नविकरणको लागि दस्तुर (अनुसूची २०) मा उल्लेखित सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाईने र असुल उपर गरिने छ ।

२२. नदिजन्य पदार्थ रोयल्टी : गाउँपालिका क्षेत्र भित्र भएका नदिजन्य पदार्थ को लागि दस्तुर रोयल्टी नं. १ प्रदेशको आर्थिक विधेयक २०७८, अनुसार (अनुसूची २१) मा उल्लेखित सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाईने र असुल उपर गरिने छ ।
२३. कर छुटः यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिईने छैन ।
२४. कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधि: यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधि गाउँपालिकाले तोके अनुसार हुने छ ।

अनुसूची १

(दफा २ संग सम्बन्धित)

एकिकृत सम्पत्ति कर

यस गाउँपालिकावाट स्थानीय सरकार सचालन ऐन २०७४ र एकिकृत सम्पत्ति कर सम्बन्धमा एकिकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन निर्देशिका २०६१ वमोजिम निर्धारण गरिएको न्यूनतम दरमा नघट्ने गरी स्वयमकर निर्धारणको आधारमा मूल्यांकन गरी साविक वमोजिम एकिकृत सम्पत्तिकर लिने ।

एकिकृत सम्पत्तिकर :

यस गाउँपालिकाले नया संघिय कानून नबने सम्मका लागी देहाय वमोजिम घर जग्गा सम्पती सम्बन्धी करको दर देहाय वमोजिमको उठाउन सक्ने छ ।

| क्र.स. | विवरण | शुल्क |
|--------|---------------------|---------|
| १ | ३० लाख देखि माथी | २०००।०० |
| २ | १५ देखी ३० लाख सम्म | १०००।०० |
| ३ | १० देखी १५ सम्म | ७५०।०० |
| ४ | ५ देखि १० सम्म | ५००।०० |
| ५ | १ देखि ५ सम्म | २५०।०० |

अनुसूची २

(दफा ३ संग सम्बन्धित)

भूमि कर (मालपोत)

अर्को कानून नबनेसम्म मालपोत देहाय वमोजिम असुल गर्ने।

| २० रोपनी भित्रको दर | | | |
|----------------------|---|-----------------------|------|
| खेत जग्गा प्रतिरोपनी | | वारी जग्गा प्रतिरोपनी | |
| अवल | ४ | अवल | २.५० |
| दोयम | ३ | दोयम | १.५० |
| सिम | २ | सिम | १ |
| चाहार | १ | चाहार | ०.५० |
| ४० रोपनी भित्रको दर | | | |
| अवल | ५ | अवल | ३ |
| दोयम | ४ | दोयम | २.५० |
| सिम | ३ | सिम | १.५० |
| चाहार | २ | चाहार | १ |
| ४० रोपनी भन्दा माथी | | | |
| अवल | ६ | अवल | ५ |
| दोयम | ५ | दोयम | ४ |
| सिम | ४ | सिम | ३ |
| चाहार | ३ | चाहार | २ |

अनुसूची ३

(दफा ४ संग सम्बन्धित)

घरवहाल कर

गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, सेड, कारखाना जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक रूपमा वहालमा दिएमा सम्बन्धित धनीबाट वहाल रकमको १ प्रतिशत घर वहालकर लिने ।

अनुसूची ४

(दफा ५ संग सम्बन्धित)

व्यवसाय कर

१३व्यवसाय कर : व्यवसाय कर निम्न अनुसार लिनेछ ।

| सि.नं | विवरण | श्रेणी वर्गिकरण | | |
|-------|---|-----------------|-------|-------|
| | | क(रु) | ख(रु) | ग(रु) |
| १ | होटेल/लज/रेष्टुरेन्ट ५ कोठा भन्दा बढी कोठा भएको लज तथा खाना भएको होटेललाई (क) • लज मात्र भएको लजलाई (ख) • साधारण खाना,नास्ता,लज भएकोलाई (ख) • रेष्टुरेन्ट मात्र भएकोलाई (ग) • १० कोठा भन्दा माथि ए.सी. भएको होटेल, रेष्टुरेन्टको रु. २०००।०० | ६०० | ४०० | २०० |
| २ | मासू पसल • रांगाको समेत सबै प्रकारका मासू मात्र बेच्नेलाई (क) • खसी र कूखुरा बेच्नेलाई (क) • रांगा वाहेक खसी वोका सहितको मासू बेच्नेलाई (ख) • रांगा खसी, वोका वाहेकको मासू मात्र बेच्ने लाई (ग) | ६०० | ४०० | २०० |
| ३ | मदिरा पसल • ईजाजत प्राप्त थोक मदिरा पसललाई (क) • ईजाजत प्राप्त खुद्रा मदिरा पसललाई (ख) | १००० | ६०० | |
| ४ | कोल्ड्रिक्स पसल | १०० | | |
| ५ | सून चांदी गहना पसल • आफ्नै सून चांदी लिई वनाउने र बेच्नेलाई (क) • अरुको सून चांदी लिई वनाउनेलाई (ख) | ६०० | ५५० | |
| ६ | रेडियो/मोवाईल विक्री तथा मर्मत | ५०० | | |
| ७ | संचार सेवा | २५० | | |
| ८ | घडि विक्री तथा मर्मत | २०० | | |
| ९ | केवल टि.भि.सेवा | १५०० | | |

| | | | | |
|----|--|-------|------|-----|
| १० | फोटो स्टूडियो <ul style="list-style-type: none"> • कलर ल्यावलाई (क) • फोटो स्टूडियोलाई (ख) | ५०० | २०० | |
| ११ | हजाम | ५० | | |
| १२ | टेलरिंग | १०० | | |
| १३ | जूत्ता पसल <ul style="list-style-type: none"> • जूत्ता सिलाई र बेच्नेलाई (क) • जूत्ता मर्मत मात्र गर्नेलाई (ख) | ३०० | १५० | |
| १४ | मोटर वर्कशप <ul style="list-style-type: none"> • गाडीको वडी वनाउने तथा मर्मत गर्ने (क) • मोटरसाईकल सहित विभिन्न सवारी साधन मर्मत गर्ने (क) • मोटरसाईकल मात्र मर्मत गर्नेलाई (ख) • सम्पूर्ण सवारी साधन मर्मत र पार्टस बेच्नेलाई (क) • सम्पूर्ण सवारी साधन मर्मत गर्नेलाई (ख) • गाडीहरू मर्मत र पार्टस बेच्नेलाई (ख) • गाडी मर्मत मात्र गर्नेलाई (ग) • मोटरसाईकल मर्मत र पार्टस बेच्नेलाई (ख) • मोटरसाईकल मर्मत मात्र गर्नेलाई (ग) | १००० | ५०० | २०० |
| १५ | छापाखाना <ul style="list-style-type: none"> • अपसेट प्रेसलाई (क) • साधारण प्रेसलाई (ख) | १००० | ७०० | |
| १६ | स्वास्थ्य सेवा <ul style="list-style-type: none"> • अस्पतालाई (क) • पोली क्लिनिकलाई (ख) • थोक मेडिकललाई (ख) • मेडिकललाई (ग) | १००० | ६०० | ५०० |
| १७ | मेटल वर्कशप | १००० | | |
| १८ | काष्ठ उद्योग <ul style="list-style-type: none"> • काठ चिरानी मेशिन सहित काठहरूको विभिन्न फर्निचर र अरू काठहरूको भयालढोका आदी वनाउनेलाई (क) • कूनै एक मात्र वनाउनेलाई (ख) | २४०० | १५०० | |
| १९ | ईटा भट्टा र ईटा डिपो <ul style="list-style-type: none"> • ईटा भट्टालाई (क) • ईटा डिपोलाई (ख) | २४०० | ७०० | |
| २० | कम्प्युटर ईन्स्टिच्युट | ५००। | | |
| २१ | दाउरा डिपो | २०० | | |
| २२ | पान पसल | ५०।०० | | |
| २३ | बेकरी उद्योग र बेकरी पसल <ul style="list-style-type: none"> • उद्योगलाई (क) | १००० | ६०० | |

| | | | | |
|----|--|------|------|------|
| | • पसललाई (ख) | | | |
| २४ | तरकारी र फलफूल पसल | ५०० | | |
| २५ | चिया पसल | ३०० | | |
| २६ | मिलहरू • १० हर्ज पावर भन्दा माथिको क्षमताको मिललाई (क) • सो भन्दा कम हर्ज पावर क्षमताको मिललाई (ख) | ८००० | ४०० | |
| २७ | डिलर | २००० | | |
| २८ | साईकल भाडा तथा मर्मत | १०० | | |
| २९ | ठेकेदार • नेपाल सरकारको ईजाजत प्राप्त क वर्गको ठेकेदारलाई (क) • नेपाल सरकारको ईजाजत प्राप्त ख वर्गको ठेकेदारलाई (ख) • नेपाल सरकारको ईजाजत प्राप्त ग वर्गको ठेकेदारलाई (ग) • नेपाल सरकारको ईजाजत प्राप्त घ वर्गको ठेकेदारलाई रु.१,२००।०० | ५००० | ३००० | २००० |
| ३० | कपडा पसल | १००० | | |
| ३१ | किराना पसल • थोक सहितको किराना पसललाई (क) • पचासहजार भन्दा बढी लगानी भएको किराना पसललाई (ख) • सो भन्दा कम लगानी भएको किराना पसललाई (ग) | १५०० | ५०० | ३०० |
| ३२ | खाद्य पसल • थोक सहितको खाद्य पसललाई (क) • खुद्रा मात्रको खाद्य पसललाई (ख) | ५०० | २०० | |
| ३३ | भाँडा पसल • धातू तथा प्लाष्टिकका भाँडा तथा सामान बेच्नेलाई (क) • नूवाकोट जिल्लामा उत्पादन भएको माटोको भाँडा वाहेक अन्यत्रबाट ल्याएर विक्री गर्ने माटोको भाँडा तथा सामान बेच्नेलाई (ख) | ४०० | २०० | |
| ३४ | चूरा धागो तथा श्रृङ्गारका सामान पसल • थोक सहितको पसललाई (क) • पचासहजार भन्दा बढी लगानी भएको पसललाई (ख) • सो भन्दा कम लगानी गर्ने पसललाई (ग) | ५०० | ३०० | १०० |
| ३५ | कूखुरा पालन • एकहजार भन्दा बढी कूखुरा पाल्नेलाई (क) • एकहजार भन्दा कम कूखुरा पाल्नेलाई (ख) | १००० | ६०० | |
| ३६ | तैयारी पोशाक पसल | २०० | | |
| ३७ | तैयारी जूता पसल | २०० | | |
| ३८ | दन्त क्लिनिक | २०० | | |
| ३९ | हार्डवेयर पसल | ८०० | | |
| ४० | ईलेक्ट्रिक पसल | ७०० | | |

| | | | | |
|----|--|------|------|------|
| ४१ | कानूनी फर्म | ५०० | | |
| ४२ | साईन बोर्ड पेन्टीङ्ग | २०० | | |
| ४३ | फर्निचर एण्ड फर्निशिंग पसल | १००० | | |
| ४४ | स्टेशनरी पसल <ul style="list-style-type: none"> • खेलकुदका सामग्री सहित भएकोलाई (क) • स्टेशनरी मात्र भएको लाई (ख) | ५०० | ३०० | |
| ४५ | जडीवूटी खरिद विक्री पसल | १५०० | | |
| ४६ | लेखा परीक्षक | ५०० | | |
| ४७ | टेलिभिजन पसल | १००० | | |
| ४८ | अन्य उद्योग <ul style="list-style-type: none"> • २० लाख भन्दा बढी लगानी भएकोलाई (क) • एकलाख पचास हजार देखि २० लाख सम्म लगानी भएकोलाई (ख) • एकलाख पचास हजार भन्दा कम लगानी भएकोलाई (ग) | ५००० | २००० | १२०० |
| ४९ | विज्ञापन सेवा वा एजेन्ट | ५०० | | |
| ५० | पशु वधुशाला | १००० | | |
| ५१ | अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (शाखा कार्यालय समेत) | ५००० | | |
| ५२ | वित्तिय सेवा <ul style="list-style-type: none"> • नेपाल सरकारको पुर्ण स्वामित्व रहेको वाहेक आर्थिक कारोवार गर्ने वाणिज्य बैंक (क) • वित्तिय संस्थाको शाखा कार्यालय (ख) • ऋण तथा बचत सहकारी संस्था (ग) | ५००० | २००० | १००० |
| ५३ | नीजि स्कूल | १००० | | |
| ५४ | सिनेमा हल <ul style="list-style-type: none"> • सिनेमा हललाई (क) • भिडियो हललाई (ख) | १००० | ५०० | |
| ५५ | चस्मा पसल | ५०० | | |
| ५६ | शिलाई मेशिन विक्री तथा मर्मत गर्ने पसल | ५०० | | |
| ५७ | रेफ्रिजेरेटर मर्मत | ५०० | | |
| ५८ | दूग्ध डिपो/पसल | ५०० | | |
| ५९ | व्यूटि पार्लर | ५०० | | |
| ६० | सप्लायर्स | १००० | | |
| ६१ | टेलिफोन टावर राखि संचार सेवा उपलब्ध गराउने संस्थालाई | ५००० | | |
| ६२ | जग्गा विकास/हाउजिङ्ग | ५००० | | |
| ६३ | म्यानपावर सेवा | १५०० | | |
| ६४ | क्याटरिङ्ग सेवा | १००० | | |
| ६५ | वित्तिय कारोवार वाहेक अन्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्था | १००० | | |

| | | | | |
|----|--|------|------|------|
| ६६ | मार्बल / टायर पसल | १००० | | |
| ६७ | सवारी साधनको शोरूम <ul style="list-style-type: none"> • गाडीको शोरूम (क) • मोटर साईकलको शोरूम (ख) • ट्रयाक्टर तथा अन्य मेशिनरीको शोरूम (ग) | ५००० | ३००० | २००० |
| ६८ | माथि उल्लेख भएको वाहेक अन्य व्यवशाय,सेवा आदीहरूमा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली,२०५६ को अनुसूची १० को दफा १९ मा तोकिएको हद भित्र रहेर कर असूली गर्ने । | | | |
| ६९ | कृषि सामग्रीको पसल / भेटनरी सम्बन्धी पसल | ५०० | | |
| ७० | आईस क्रिम पसल | ३०० | | |
| ७१ | दाना उद्योग | १००० | | |
| ७२ | तार जाली बनाउने उद्योग | १००० | | |
| ७३ | कृषि व्यवशाय (बंगूर, माछा, गाई पालन) | ५०० | | |
| ७४ | नीजि कलेज | ५००० | | |
| ७५ | ब्लक उद्योग | १५०० | | |
| ७६ | मिनरल वाटर उद्योग | २००० | | |
| ७८ | पानी टयांकर | ५०० | | |
| ७९ | ग्यास डिपो | ७०० | | |
| ८० | कोल्ड स्टोर (शितभण्डार) | १००० | | |

नोट :

- १। डिलर, एजेन्ट, डिपो, सब डिलर आदी वाहेक अन्य पसल, उद्योग, व्यवशायको हकमा कसैले एउटै पसलमा धेरै आईटम राखि पसल वा व्यवशाय गरेको छ भने सबै आईटम मध्ये कुनै एकको मात्र कर लिने छ तर यस्मा सबै आईटम मध्ये जुन आईटमको कर रकम बढी छ सोहीलाई कायम गरी कर असुल गरिनेछ ।
- २। म्याद भित्र नबुझाउने कुनै पनि करदाताहरूवाट बुझाउनु पर्ने सम्पूर्ण व्यवसायकर र प्रतिवर्ष १० प्रतिशतका दरले जरिवाना सहित व्यवसायकर असुल गरिनेछ ।
- ३। व्यावसाय नविकरण गर्ने म्याद प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरुभए पश्चात पहिलो ३ महिना श्रावण, भाद्र र आश्विन महिना सम्म रहने छ । उक्त समय भित्रमा व्यावसाय नविकरण नगरेमा जरिवाना लाग्ने छ ।

अनुसूची ५

(दफा ६ संग सम्बन्धित)

सवारी साधन कर

(क) वार्षिक सवारीकर निम्न अनुसार लिने ।

| सि.नं. | विवरण | वार्षिक रू. |
|--------|---------------------------------------|-------------|
| १ | बस, ट्रक तथा अन्य हेभी सवारीमा | ५००१०० |
| २ | भाडाको मिनिबस, भ्यान, ट्रयाक्टर आदिमा | ३००१०० |
| ३ | भाडाको जीप, पिकअप, आदिमा | १५०१०० |
| ४ | भाडाको टेम्पो | ५०१०० |
| ५ | नीजि जीप, कार, भ्यान आदिमा | १५०१०० |
| ६ | मोटर साईकल / स्कुटर | ५०१०० |
| ७ | ठेला गाडा | १०१०० |
| ८ | अन्य सवारीमा | २०१०० |

अनुसूची ६

(दफा ७ संग सम्बन्धित)

विज्ञापन कर

ठेक्का प्रकृयाद्वारा विज्ञापनकर उठाउनको लागि देहाय अनुसार दररेट निर्धारण गरी विज्ञापनकर कर लिने ।

| | |
|---|--------------|
| (क) सववोर्ड प्रति वर्गफिट | रू. ४०/०० |
| (ख) होडिगवोर्ड प्रति वर्गफिट | रू. ७५/०० |
| (ग) ग्लोसाईनवोर्ड प्रति वर्गफिट | रू. ९०/०० |
| (घ) भित्तेलेखन/सटर पेन्टिंग प्रति वर्गफिट | रू. २०/०० |
| (ङ) ब्यानर प्रति हप्ता | रू. १००/०० |
| (च) पोलबोर्ड प्रति गोटा प्रति वर्ष | रू. १,०००/०० |
| (छ) डिजिटल बोर्ड प्रति वर्गफिट | रू. २००/०० |

अनुसूची ७

(दफा ८ संग सम्बन्धित)

मनोरञ्जन कर

मनोरञ्जनको कार्यक्रम संचालन गर्ने संचालकसंग गाउँपालिका र संचालक बीच आपसी समझदारीमा मनोरञ्जनकर शुल्क लिने ।

अनुसूची ८

(दफा ९ संग सम्बन्धित)

पार्किङ्ग शुल्क

पार्किङ्ग शुल्क निम्न अनुसार लिईनेछ ।

- (क) गाउँपालिका क्षेत्र भित्र प्रवेश गर्ने सवारी साधनहरूलाई व्यवस्थित पार्किङ्गको व्यवस्था गरेमा सो स्थानमा पार्क गरे वापत बस, ट्रक, आदीमा एक पटकमा रु.१०।०० पार्किङ्ग शुल्क लिईने छ ।
- (ख) कुनै पनि सवारी साधनले निजी स्वामित्वमा रहेको स्थानमा पार्किङ्ग गरेको अवस्था बाहेक गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका सार्वजनिक स्थानहरू सडकको छेउ आदी स्थानमा १५ मिनेट भन्दा बढी समयको लागि पार्किङ्ग गरेमा प्रत्येक पटकमा रु.५।०० पार्किङ्ग शुल्क लिने छ । यस्तो शुल्क प्रत्येक २४ घण्टामा थप लाग्दै जाने छ ।

अनुसूची ९

(दफा १० संग सम्बन्धित)

सेवा शुल्क तथा सिफारिस दस्तूर

गाउँपालिकावाट उपलब्ध गराउने सिफारिसहरूको निम्न वमोजिम निवेदन फाराम दस्तूर र सिफारिस दस्तूर लिने ।

| सि.नं. | विवरण | सिफारिस दस्तूर रु. |
|--------|--|--------------------|
| १ | नाता प्रमाणित | १००।०० |
| २ | धारा / विजुली | १००।०० |
| ३ | नाम, थर आदि सच्याउने | १००।०० |
| ४ | जग्गा / मोही नामसारी / जग्गा दर्ता / गूठी / रैकर आदि | २००।०० |
| ५ | जग्गा खरिद विक्रीमा घर,वाटो प्रमाणित | २००।०० |
| ६ | कालोपत्रे मोटर वाटो भएको छ भनि गरिने सिफारिसमा | ३००।०० |
| ७ | अन्य मोटर वाटो भएको छ भनि गरिने सिफारिसमा | २००।०० |
| ८ | आयश्रोत प्रमाणितको सिफारिसमा वार्षिक आयको हिसावले | वार्षिक हुन आउने |

| | | रकमको प्रतिशतका दरले ०.२ |
|---|---|----------------------------|
| ९ | रूख काटनको लागि सिफारिस दिंदा प्रति रू. | ३०।०० |
| १० | टेलिफोन जडान सिफारिस | ३००।०० |
| ११ | अग्रेजी सिफारिस | ५००।०० |
| १२ | नागरिकता संककल/प्रतिलिपि | १००।०० |
| १३ | सर्जमिन सहित नागरिकता सिफारिस | २००।०० |
| १४ | सर्जमिन सहित अङ्कित नागरिकता सिफारिस | ५००।०० |
| १५ | मिलापत्र दस्तुर | ५००।०० |
| १६ | उजुरी दस्तुर | १००।०० |
| १७ | स्थानीय बसोबास | १००।०० |
| १८ | नाम थर र उमेर संशोधन सिफारिस | १००।०० |
| १९ | संस्था दर्ता सिफारिस | ५००।०० |
| २० | नविकरण सिफारिस | ३००।०० |
| २१ | घर सारी | १००।०० |
| २२ | सिनेमा हल खोल्ने सिफारिस | ५०००।०० |
| २३ | पेन्सन पट्टा सिफारिस नेपाल भारत अन्य | १००।०० २००।०० ५००।०० |
| २४ | अपुताली सिफारिस | १००।०० |
| २५ | मेला र्कस अनुमती | २०००।०० |
| २६ | व्यवसाय दर्ता सिफारिस ०० देखि १५ लाख सम्मको | ५००।०० |
| २७ | १० लाख सम्मको | ४००।०० |
| २८ | ५ लाख सम्मको | २००।०० |
| २९ | योजना सिफारिस शुल्क (प्रत्येक योजनाबाट एक आ.वमा एक पटक मात्र सिफारिस शुल्क लाग्ने छ) | १००।०० |
| <p>पञ्जीकरण सम्बन्धमा ३५ दिन भित्रमा घटना दर्ता भए कुनै पनि शुल्क नलाग्ने ३५ दिन नाघेमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली २०७७ अनुसुची ३ बमोजिमको दस्तुर लाग्ने छ ।</p> | | |

नोट : १)छात्रवृत्ति, आर्थिक सहायता, निशुल्क स्वास्थ्य उपचार, दैवी प्रकोप र जेष्ठ नागरिक भत्ता प्राप्तको लागि गरिने मन्जूरनामाको सिफारिस आदी सिफारिसमा सिफारिस दस्तुर छुट दिने

अनुसूची १०

(दफा ११संग सम्बन्धित)

सम्पत्ति मूल्यांकन दस्तुर :

सम्पत्ति मूल्यांकन दस्तुर: सम्पत्ति मूल्यांकन दस्तुर मुल्यांकन कायम हुन आएको मुल्यको ०.१ प्रतिशतका दरले लिने ।

अनुसूची ११

(दफा १२संग सम्बन्धित)

घर निर्माण नक्सा पास दस्तुर:

घर निर्माण नक्सा पास दस्तुर निम्न वमोजिम लिने ।

| क्र.स. | नक्सा पास | आवासीय घर |
|--------|--|-----------|
| १ | कम्पाउण्ड वाल प्रति वर्ग फूट | १.५ |
| २ | लोड वियरिड घर प्रति वर्ग फिट | १.४ |
| ३ | आर.सि.सि. घर प्रति वर्ग फिट | ५ |
| ४ | कच्ची घर (वजार क्षेत्र) प्रति वर्ग फिट | ३ |
| ५ | कच्ची घर (ग्रामिण क्षेत्र) | १।५ |
| ६ | नक्सा संशोधन १५ प्रतिशत थप | |
| ७ | ले आउट प्रति वर्ग फिट | १ |
| ८ | प्रविधिक सहगोग | ३५० |
| ९ | नक्सा डिजाईन शुल्क | |
| १. | २००० वर्ग फिट सम्म | १२५ |
| २. | ३००० वर्ग फिट सम्म | १५० |
| ३. | ४००० वर्ग फिट सम्म | १७५ |
| ४. | ५००० वर्ग फिट सम्म | २०० |
| ५. | ५००० वर्ग फिट भन्दा माथी | २५० |
| १० | नक्सा नाम सारी प्रति तला | १५०० |
| ११ | नक्सा पास दस्तुर RCC | १५०० |
| १२ | नक्सा पास दस्तुर लोडवाईरिड | १००० |
| १३ | नक्सा पास दस्तुर कच्ची घर | ५०० |
| १४ | निवेदन दर्ता दस्तुर | ५०० |
| १५ | निवेदन दर्ता दस्तुर किताव | ७०० |
| १६ | निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र | ३०० |
| १७ | अमिन दस्तुर | |
| | सक्रान्तिबजार | १००० |
| | वडा कार्यालय सम्म | १५०० |

अनुसूची १२

(दफा १३संग सम्बन्धित)

चार किल्ला प्रमाणित दस्तुर:

चारकिल्ला प्रमाणित दस्तुर: चारकिल्ला प्रमाणित सिफारिस दिदा प्रति कित्ता निम्न वमोजिम क्षेत्रफल भएको जग्गाहरूमा निम्न वमोजिम सेवा शूलक लिने ।

| सि.नं. | विवरण | रु. |
|--------|-------------------------------------|--------|
| १ | आधा रोपनि सम्मको जग्गाको | ५०।०० |
| २ | एक रोपनि सम्मको जग्गाको | १००।०० |
| ३ | एक रोपनि भन्दा बढी ५ रोपनि सम्मका | १५०।०० |
| ४ | ५ रोपनि भन्दा बढी १० रोपनि सम्मका | २००।०० |
| ५ | १० रापनि ०९४भन्दा बढी जतिसुकै भएपनि | २५०।०० |

अनुसूची १३

(दफा १४संग सम्बन्धित)

निवेदन दस्तुर:

निवेदन दस्तुर : कूनै पनि निवेदनहरूमा निवेदन दस्तुर लिईने छैन तर यस गाउपालिकामा कर, दस्तुर, महशुल आदी बुझाएको भनी लिएको प्रमाणपत्रहरू आदि हराएमा रु. ५०।०० लिई अर्को प्रतिलिपी प्रमाणपत्र दिईनेछ ।

अनुसूची १४

(दफा १५ संग सम्बन्धित)

सरसफाई शूलक :

| क्र.सं. | विवरण | न्युनतम |
|---------|---------------------------|---------|
| १ | आवासिय घर २ तला सम्म | १०० |
| २ | आवासिय घर २ तला माथी | १५० |
| ३ | होटल, लज सहितको व्यवसायिक | १००० |
| ४ | होटल, सानो चिया नास्ता | ३०० |
| ५ | मासु पसल रांगा / खसी | ३०० |
| ६ | मासु पसल कुखुरा | ४०० |
| ७ | सैलुन | १०० |
| ८ | तरकारी, फलफुल | २०० |
| ९ | पान पसल | ५०।०० |
| १० | माछा पसल | १०० |
| ११ | किराना होलसेल पसल | ४०० |
| १२ | किराना खुद्रा पसल | २०० |

| | | |
|----|---|------|
| १३ | फेन्सी, मोबाईल, साईबर, कपडा, घडी पसल, चुरा धागो | १०० |
| १४ | सुन पसल | २०० |
| १५ | स्कूल, क्याम्पस सरकारी | २०० |
| १६ | स्कूल, क्याम्पस नीजि होस्टेल सहित | ५०० |
| १७ | स्कूल, क्याम्पस नीजि | ३०० |
| १८ | कार्यालय सरकारी | ३०० |
| १९ | कार्यालय नीजि, संघसंस्था | ४०० |
| २० | उद्योग ठुलो व्यवसायिक | १००० |
| २१ | उद्योग घरेलु, साना छाला जुत्ता, भोला | २०० |
| २२ | धान, च्युरा, तेल मिल आदि | ५०० |
| २३ | फर्निचर उद्योग | ४०० |
| २४ | बस, माइक्रो काउन्टर | २०० |
| २५ | हस्पिटल, पोलिक्लिनिक सुई सिरिन्ज बाहेक | १५०० |
| २६ | मेडिकल हल, एगो भेट | ५०० |
| २७ | कुखुरा फर्म ठुलो ५०० भन्दा बढी | ६०० |
| २८ | कुखुरा फर्म सानो ५०० भन्दा कम | ३०० |
| २९ | हार्डवेयर, भाडा पसल | ३०० |
| ३० | स्टेशनरी पसल | १०० |
| ३१ | कापी उद्योग, छापाखाना | ५०० |
| ३२ | मोटर वर्कशप | १००० |
| ३३ | साईकल, मोटर साईकल वर्कशप | ५०० |
| ३४ | मोटर, मोटर साईकल सोरुम | ३०० |
| ३५ | मेटल वर्कशप, मोटर पार्टस, वर्कशप | ४०० |
| ३६ | टायर रिसोलिड | १००० |
| ३७ | बैंक | ५०० |
| ३८ | सहकारी संस्था | ३०० |
| ३९ | टेलरिड पसल | ४०० |
| ४० | इट्टा विक्रि केन्द्र, भट्टा | २०० |
| ४१ | पेटोल पम्प | ३०० |
| ४२ | मदिरा पसल | ३०० |
| ४३ | टिभि, इलेक्टिक तथा मर्मत पसल | ४०० |
| ४४ | हस्तकला, आर्टस, प्लेक्स | २०० |
| ४५ | सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, क्याटरिड | १००० |
| ४६ | दुध डिपो | ३०० |
| ४७ | व्युटी पार्लर | ३०० |
| ४८ | सिलाई मेसिन पसल तथा मर्मत | ३०० |
| ४९ | कुखुरा बाहेक कृषि फर्म | ३०० |
| ५० | अन्य | ३०० |

अनुसूची १५

(दफा १६संग सम्बन्धित)

भाडा

भाडा : यस गाउपालिकामा रहेको हल तथा प्रोजेक्टर प्रयोग गरे वापत प्रति दिन रू.५००/०० भाडा लिई उपलब्ध गराउने ।

अनुसूची १६

(दफा १७संग सम्बन्धित)

सार्वजनिक शौचालय

नीजि क्षेत्र संग साभेदारी माध्यमवाट शुल्क निर्धारण गरी संचालन गर्ने ।

अनुसूची १७

(दफा १८संग सम्बन्धित)

विद्युत/टेलिफोन पोल कर:

: नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको गाउपालिका क्षेत्र भित्र विद्युत र टेलिफोन प्रसारणको लागि गाडिएको केन्द्रीय प्रसारण पोललाई वार्षिक प्रति पोल रू. ३,०००/०० र स्थानीय प्रसारणलाई पोललाई वार्षिकरू. ५००/०० ।

अनुसूची १८

(दफा १९संग सम्बन्धित)

जडिबुटी,कवाडि तथा जिवजन्तु कर:

तपसिल

| सि.नं. | माल वस्तुको विवरण | ईकाइ | दर (रू) |
|--------|----------------------|------------|---------|
| १. | काँचो छाला | प्रति गोटा | २५ |
| २. | कुखुरा | प्रति गोटा | २ |
| ३. | अलैची | प्रति केजी | ३ |
| ४. | सुन्तला कागती | प्रति केजी | १ |
| ५. | दाना(रुद्राक्ष) | प्रति केजी | १ |
| ६. | वाखा,भेडा सुंगुर | प्रति गोटा | १५ |
| ७. | भैँसी,राँगा,गाई गोरु | प्रति गोटा | ४० |
| ८. | सुंगुरको जगर | प्रति तोला | १ |
| ९. | राडी पाखी | प्रति गोटा | १० |
| १०. | छुर्पी | प्रति केजी | २ |
| ११. | आलु | प्रति केजी | ०.२५ |

| | | | |
|-----|---|-----------------|------|
| १२. | घिऊ | प्रति केजी | १० |
| १३. | नास्याती | प्रति केजी | ०.१० |
| १४. | कुराउनी | प्रति केजी | १० |
| १५. | अन्य तरकारी | प्रति टोकरी | १० |
| १६. | नाडला,डाला,कुचो | प्रति गोटा | १ |
| १७. | कुकाठ गोलिया | प्रति क्यूफिट | १ |
| १८. | चिरानी काठ | प्रति क्यूफिट | १४ |
| १९. | अमिसो (प्रति किलो १०) | प्रति ट्रक | १०० |
| २०. | वनकस खर वावियो ,लोक्ता पटेर आदि (प्रतिकिलो १०) | प्रति ट्रक | १०० |
| २१. | खोटो | प्रति केजी | ५० |
| २२. | रातोमाटो | प्रति ट्रक | १०० |
| २३. | हुंगा वालुका गिटी | प्रति ट्रक | १०० |
| २४. | चियापत्ती | प्रति मिनी ट्रक | ०.३५ |
| २५. | अदुवा | प्रति मिनी ट्रक | १४ |
| २६. | खयर | प्रति क्यूफिट | १०० |
| २७. | दुध | प्रति ट्याक्टर | ५० |
| २८. | लप्सीको वियाँ | प्रति केजी | ०.१० |
| २९. | सुर्तीको डण्ठल करतन | प्रति केजी | ०.१० |
| ३०. | सालको वियाँ | प्रति केजी | ०.५० |
| ३१. | चिउरीको वियाँ | प्रति केजी | ०.५० |
| ३२. | सिन्कौली (तेजपत्ता) | प्रति केजी | ०.२५ |
| ३३. | नेपाली कागज | प्रति केजी | १ |
| ३४. | अकवरे खुर्सानी | प्रतिकेजी | १ |
| ३५. | अमिलो चुक | प्रति लिटर | ५ |
| ३६. | ढाका टोपी १ दर्जन भन्दा माथी | प्रति गोटा | १ |
| ३७. | सर्ट चौवन्दी ,१ दर्जन भन्दा माथि मात्र | प्रति गोटा | २ |
| ३८. | ढाका साडि, दर्जन भन्दा माथि मात्र | प्रति गोटा | ५ |
| ३९. | ढाका ठुलो पछ्यौरी कुर्ता सुरुवाल दर्जन भन्दा माथि मात्र | प्रति गोटा | ३ |
| ४०. | वाँस | प्रति गोटा | ५०० |
| ४१. | मंजिटो | प्रति केजी | १ |
| ४२. | खानाक्वा | प्रति केजी | १ |
| ४३. | चिराईती | प्रति केजी | २ |
| ४४. | धुपी | प्रति केजी | १ |
| ४५. | डयाग्रे सल्ला | प्रति केजी | ५ |
| ४६. | रिठ्ठा | प्रति केजी | १ |
| ४७. | वन लसुन | प्रति केजी | १ |

| | | | |
|-----|-----------------|------------|----|
| ४८. | गुजरगानो | प्रति केजी | १ |
| ४९. | खेकिम | प्रति केजी | १ |
| ५०. | जडिवुटी नखुलेको | प्रति केजी | १ |
| ५१. | विख्मा | प्रति केजी | १० |

अनुसूची १९

(दफा २०संग सम्बन्धित)

व्यवसाय दर्ता शुल्क

व्यवसाय दर्ता शुल्क व्यवसाय दर्ता शुल्क रु ५००।

अनुसूची २०

(दफा २१संग सम्बन्धित)

व्यवसाय नविकरण शुल्क

व्यवसाय नविकरण शुल्क रु २००।

अनुसूची २१

(दफा २२ संग सम्बन्धित)

नदिजन्य पदार्थ रोयल्टी

नदिजन्य पदार्थ रोयल्टी नं. १ प्रदेशको आर्थिक विधेयक २०७८, को अनुसूची ४ बमोजिम हुने ।

प्राकृत स्रोत संकलन तथा विक्रि शुल्क

| क्र.स. | नदिजन्य पदार्थको विवरण | इकाई | दर | कैफियत |
|--------|--|-----------------|----------|--------|
| १ | ढुंगा, गिटी, रोडा, ग्रावेल, चट्टान, स्लेट | प्रति क्यूब फिट | रु ६.०० | |
| २. | वालुवा, चिप्स | प्रति क्यूब फिट | रु ४.७५। | |
| ३. | माटो (भरौट र वलौटे) | प्रति क्यूब फिट | ३.००। | |
| ४. | कटिङ्ग ढुङ्गा | प्रति क्यूब फिट | रु ६.००। | |
| ५. | खानिजन्य वस्तुहरुको उपयोग गरि सिमेन्ट उत्पादन गरि विक्री वितरण गर्ने उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्टको विक्रीमा विक्रीगर्दाकै वखत प्रतिवोरा १ रुपैयाका दरले प्राकृतिक स्रोत उपयोग वापत शुल्क लगाईने छ । | | | |

कर छुट: यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिईने छैन ।

कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधि: यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधि गाउँपालिकाले तोके अनुसार हुने छ ।

आज्ञाले

महेन्द्र बहादुर घिमिरे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत